33

लौकिकीकरण

(SECULARIZATION)

भारतीय सामाजिक संरचना में आज तेजी से परिवर्तन हो रहा है, और हो भी क्यों न ? परिवर्तन तो अन्ततः प्रकृति का नियम है ही। चूँकि समाज या सामाजिक संरचना भी उसी प्रकृति का एक अंग है, इस कारण सामाजिक परिवर्तन भी प्राकृतिक या स्वाभाविक है। हाँ, यह बात दूसरी है कि परिवर्तन की प्रक्रिया समाज के किसी विशेष क्षेत्र में तेजी से चल रही हो तो किसी क्षेत्र में धीमी गति से। भारतीय सामाजिक जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में, ब्रिटिश काल से ही, परिवर्तन की एक विशेष प्रक्रिया क्रियाशील हुई है जोकि जन-जीवन के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों में दृष्टिगोचर होती है। वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है 'धर्म' और उसमें प्रक्रिया का नाम है 'लौकिकीकरण'। आज भारतीय जनता विशेषकर नगरों के डाक्टरों, वकीलों, मजदूरों, क्लर्कों, दुकानदारों आदि के दैनिक जीवन पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट होता है कि उनके जीवन में धर्म का महत्व काफी कम हो गया है। अधिकतर व्यक्ति अपने कार्यों या व्यवहारों को धार्मिक उद्देश्य से न करके व्यक्तिगत लाभ या अन्य उद्देश्यों से करते हैं। अनेक प्राचीन प्रथाओं, परम्पराओं या रीति-रिवाजों का पालन धार्मिक अभिमति के कारण नहीं, बल्कि व्यावहारिक लाभों के कारण किया जाता है। इसको यों भी कहा जा सकता है कि व्यक्ति में कुछ तार्किकता (rationality) आ गई है या जीवन में निरन्तर धार्मिकता का ह्रास होता जा रहा है। व्यक्तिगत व कार्यों में तार्किकता का समावेश या धार्मिकता का ह्रास ही लौकिकीकरण है। औद्योगीकरण, उन्नत संचार साधन, नगरों का विकास, स्वतन्त्रता, पाश्चात्य संस्कृति, सामाजिक गतिशीलता, दो विश्वयुद्ध, सुधार आन्दोलनों आदि अनेक कारकों ने भारतीय जन-जीवन में लौकिकीकरण की प्रक्रिया को अत्याधिक प्रोत्साहित किया है। इस सम्बन्ध में एक बात विशेष रूप से स्मरणीय है, और वह यह है कि इस प्रक्रिया से हिन्दू धर्म जितना अधिक प्रभावित हुआ है उतना शायद कोई अन्य दूसरा धर्म नहीं। परन्तु इससे पूर्व कि हम यह अध्ययन करें कि लौकिकीकरण ने जीवन को किस रूप में प्रभावित किया है, इसके अर्थ को समझना अनुपयुक्त न होगा।

लौकिकीकरण का अर्थ एवं परिभाषा
(Meaning and Definition of Secularization)

जैसाकि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि लौकिकीकरण को उस सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा धार्मिक, प्रथागत या परम्परागत व्यवहारों में धीरे-धीरे तार्किकता का समावेश होता जाता है। दूसरे शब्दों में जन-जीवन के व्यवहारों का उद्देश्य धार्मिक न होकर व्यावहारिक उपयोग होता है। फलतः पहले जो वस्तु पारलौकिक समझी जाती थी, अब उसकी व्याख्या लौकिक सन्दर्भ में होने लगती है। और भी स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है कि पारलौकिक, परम्परागत, दैवीय या धार्मिक आदर्शों की मानवीय, सामाजिक, व्यावहारिक या तार्किक व्याख्या ही लौकिकीकरण है।

डॉ० एम०एन० श्रीनिवास (Dr. M.N. Srinivas) ने लौकिकीकरण की सबसे उपयुक्त

परिभाषा की है। आपके शब्दों में, "लौकिकीकरण शब्द का यह अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था, वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। इसका तात्पर्य विभेदीकरण की एक प्रक्रिया से भी है जोकि समाज के विभिन्न पहलुओं–आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक–के एक-दूसरे से अधिक पृथक होने में दृष्टिगोचर होती है।[1]"

लौकिकीकरण का यह अर्थ इसके कुछ प्रमुख तत्वों से और भी स्पष्ट हो जाएगा।

लौकिकीकरण के प्रमुख तत्व
(Important Elements of Secularization)

लौकिकीकरण के कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं–

1. **धार्मिकता का ह्रास** (Lack of Religiousness)–जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्व उसकी बुद्धि के साथ-साथ धार्मिकता का ह्रास है। जैसे-जैसे जन-सामान्य के जीवन में लौकिकीकरण की वृद्धि होती जाती है, धार्मिकता का ह्रास होता है। फलतः व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन होते जाते हैं और उनका स्थान सामाजिक उद्देश्य या व्यावहारिक लाभ ले लेते हैं।

2. **तार्किकता** (Rationality)–लौकिकीकरण का एक प्रमुख तत्व तार्किकता है। इसके अन्तर्गत सभी विश्वासों, विचारों अथवा चीजों में तर्क का समावेश होता है। जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या पर तर्क और विवेक के आधार पर विचारों को आधुनिक ज्ञान के आधार पर बदलना ही तार्किकता है। तार्किकता का बढ़ना ही लौकिकीकरण है।

3. **विभेदीकरण की प्रक्रिया** (Process of Differentiation)–अन्त में, लौकिकीकरण के एक अति महत्वपूर्ण तत्व या लक्षण के रूप में विभेदीकरण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जा सकता है। लौकिकीकरण में विभेदीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि समाज में विभेदीकरण बढ़ता है। समाज के विभिन्न पहलू–आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, कानूनी आदि एक-दूसरे से पृथक् होते जाते हैं। इन सभी क्षेत्रों में धर्म का महत्व या प्रभाव कम होता जाता है। उदाहरण के लिए राज्य को ले लीजिए। पहले राजा पुरोहित के भी नीचे होता था, परन्तु आज धर्म और राज्य अलग-अलग हो गये हैं। स्पष्ट ही है कि इस प्रक्रिया के अन्तर्गत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में धर्म का बन्धन समाप्त होता जाता है।

लौकिकीकरण के कारण
(Factors of Secularization)

प्रत्येक प्रक्रिया के कोई-न-कोई कारण या कारण अवश्य ही होते हैं। भारतवर्ष में जो लौकिकीकरण की प्रक्रिया आज चल रही है, उसके भी कुछ विशेष कारण रहे हैं। यद्यपि इस प्रक्रिया के सभी कारणों पर प्रकाश डालना कठिन है, फिर भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कारकों को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है–

1. **नगरीकरण** (Urbanization)–लौकिकीकरण की प्रक्रिया में नगरीकरण का अत्यधिक योगदान रहा है। यह तथ्य तो इसी से स्पष्ट है कि नगरों में ही लौकिकीकरण सर्वाधिक हुआ है। नगरों में अत्याधिक भीड़-भाड़, उन्नत यातायात व सन्देशवाहन के साधनों के साथ, उन्नत शिक्षा, फैशन, भौतिकवाद, विवेकवाद, व्यक्तिवाद आदि सभी कारक मौजूद होते हैं। जैसाकि आगे के विवेचन से स्पष्ट

---

1. "The term `Secularisaation' implies that what was previously regarded as religious is now ceasing to be such] and it also implies a process of defferentiation which relults in the various aspects of society, economic, political, legal and moral, becoming increasingly discrete in relation to each other."—Dr. M.N. Srinivas, Change in Modern India Allied Publishers. Bombay, p.119.

होगा ये सभी कारण लौकिकीकरण से अत्याधिक सहायता प्रदान करते हैं।

2. **आधुनिक शिक्षा** (Modern Education)–लौकिकीकरण का शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण आधुनिक शिक्षा है। वास्तव में आज जो शिक्षा-पद्धति भारतवर्ष में अपनाई जा रही है उसमें बहुत-कुछ पाश्चात्य पुट है। इसके अतिरिक्त करीब 200 वर्षों से भारत पूर्णतया पाश्चात्य शिक्षा पाता रहा है इसका एक स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि यहाँ कि संस्कृति में पाश्चात्य मूल्यों (Values) ने प्रवेश पा लिया ह। इससे स्पष्टतः ही यहाँ धर्मों पर, विशेष रूप से हिन्दू धर्म पर प्रभाव पड़ा है। यदि एक ओर, इससे व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन आया तो दूसरी ओर हिन्दुओं को अपने धर्म के प्रति एकबारगी कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ा है। इस शिक्षा से ही उनका विवेक जागृत हुआ है अपने धर्म के कठोर एवं अन्धविश्वास नियमों व बन्धनों का फिर से मूल्यांकन करने के लिये। इसके अतिरिक्त उनके अन्दर वैज्ञानिक मनोवृत्ति और तर्क-शक्ति ने जन्म लिया है। अब वे केवल धर्म के नाम पर ही व्यवहारों को नहीं करते, वरन् उनमें कुछ व्यावहारिकता का भी पुट देखते हैं। इतना ही नहीं। आधुनिक शिक्षा ने सहशिक्षा (Co-Education) का अवसर प्रदान कर यदि एक ओर अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया है तो दूसरी ओर छूआछूत, अस्पृश्यता पवित्रता-अपवित्रता, आदि भावनाओं को निरुत्साहित किया है। कहना न होगा ये सभी लौकिकीकरण के ही लक्षण है जोकि आधुनिक शिक्षा का ही प्रत्यक्ष परिणाम है।

3. **सामाजिक व धार्मिक आन्दोलन** (Social and Religious Movement)–अनेक सामाजिक और धार्मिक आन्दोलनों ने भी लौकिकीकरण में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया है। विदेशी शासनकाल से इस देश में सर सैयद अहमद खां, राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द, गोविन्द रानाडें, महात्मा गाँधी आदि नेताओं ने अनेकों सामाजिक व धार्मिक आन्दोलनों का सूत्रपात किया। इन आन्दोलनों ने हिन्दू धर्म के कुविश्वासों व कमियों की ओर संकेत किया और उसमें अपनी आवाज से पर्याप्त सुधार भी किये। इन आन्दोलनों में आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल समाज, सर्वोदय आन्दोलन आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है।

4. **यातायात और संचार के साधनों में उन्नति** (Development of the means of Transport and Communication)–आवागमन व संचार के साधनों में उन्नति होने से सामाजिक गतिशीलता (social mobililty) ही नहीं बढ़ती बल्कि नए-नए नगरों, उद्योगों, व्यवसायों, मिलों और कारखानों की भी उत्पत्ति एवं विकास होता है। इससे विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, प्रदेश और देश के लोगों का एक-दूसरे के साथ सम्पर्क स्थापित और विचार-विनिमय होता है। व्यक्तियों में समानता की भावना जागृत होती है और विभिन्न धर्मों की तार्किक आलोचना की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। इसके अतिरिक्त उनकी संकुचित विचारधारा और दृष्टिकोण का अन्त होता है और उसी के साथ जाति-पाँति की कठोरता का भी। साथ ही रेल, बस आदि में जाति व धर्मों के लोगों का एक साथ यात्रा करना भी पवित्रता-अपवित्रता और छूआछूत के विचारों को शिथिल बनाने में सहायक होता है।

5. **पाश्चात्य संस्कृति** (Western Culture)–भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने से पहले मुसलमानों का राज्य था और शासक-वर्ग के रूप में उनका प्रभाव व दबाव दोनों ही भारतवासियों पर था। परिणामतः यहाँ के लोगों के जीवन पर मुस्लिम का प्रभाव स्पष्टतः दिखने को मिलता है। परन्तु भारतीय संस्कृति पर, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और भी अधिक व्यापक प्रभावशाली रहा है। पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय जीवन के समस्त पहलुओं विशेषकर धर्म, कला, साहित्य, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तनों को उत्पन्न किया। इससे जाति-प्रथा के नियमों में पर्याप्त ढीलाई आई, छुआछूत और पवित्रता-अपवित्रता के आधार पर भेदभावों में कमी आई, और व्यक्तिवाद, भोगवाद, अधार्मिकता, भौतिकवाद आदि प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। शायद यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सभी लौकिकीकरण को बढ़ाने में सहायक हैं।

6. **धार्मिक संगठनों का अभाव** (Lack of Religious Organizations)–लौकिकीकरण के विकास में धार्मिक संगठनों के अभाव ने भी पर्याप्त योगदान किया हैं। इस सम्बन्ध में विशेषकर हिन्दू-धर्म का नाम लिया जा सकता है। वास्तव में हिन्दू-धर्म के अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी धर्म अत्यधिक संगठित हैं–जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी धर्म के अनुयायी अपने धर्म के प्रति अत्यधिक कट्टर है, साथ ही उनमें पर्याप्त धार्मिक संगठन भी है। खेद है कि हिन्दू-धर्म में इस प्रकार की बात देखने को नहीं मिलती। एक तो हिन्दू-धर्म ही अनेकों मत तथा सम्प्रदाय हैं; दूसरे, सम्पूर्ण हिन्दू-धर्म का कोई अच्छा संगठन भी नहीं है। इसके अतिरिक्त इस धर्म में विभिन्न मत होने के कारण एक हिन्दू दूसरे हिन्दू की धार्मिक आधार पर ही कड़ी आलोचना करता है–एक हिन्दू अपने ही एक भाई का धार्मिक गला घोंटता है। इन सबका प्रभाव स्वभावतः ही हिन्दू-धर्म पर पड़ा है। जहाँ एक ओर अनेक हिन्दुओं ने ब्राह्मणों के अत्याचारों से पीड़ित होकर अन्य धर्मों को अपनाया है, वहाँ दूसरी ओर पढ़े-लिखे हिन्दू धार्मिक कट्टरता से दूर होते जा रहे हैं। वे हिन्दू-धर्म के विश्वासों, मतों, आदर्शों व कट्टरता का पर्याप्त विरोध कर रहे हैं। ये सभी लौकिकीकरण के आधार ही हैं।

7. **भारतीय संस्कृतिक लौकिकीकरण** (Secularization of Indian Culture)–यद्यपि भारतीय संस्कृति का स्वयं ही लौकिकीकरण होता जा रहा है। यह प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर यहाँ की संस्कृति में पर्याप्त लौकिकीकरण हुआ है। इसके अतिरिक्त यहाँ की संस्कृति के लौकिकीकरण में चल-चित्र, समाचार-पत्र, रेडियों, टेलीविजन आदि का पर्याप्त योगदान रहा है। इन सभी साधनों से विभिन्न धर्म, जाति, सम्प्रदाय एक-दूसरे की अच्छाई-बुराइयों का ज्ञान करते है और एक-दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। चूँकि भारत स्वयं एक धर्म-निरपेक्ष गणराज्य (Secular Republic) है, अतः प्रचार के उपरोक्त सभी साधन भी लौकिकीकरण के पक्ष में क्रियाशील बन पाते हैं।

8. **सरकारी प्रयत्न** (Government Efforts)–लौकिकीकरण को बढ़ाने में सरकारी प्रयत्नों का शायद सबसे अधिक योगदान रहा है–इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। सन् 1850 में 'जाति निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम' (Caste Disablities Removal Act, 1850) जाति प्रथा के प्रभावों को रोकने के लिए सरकार का प्रथम कदम था। सन् 1829 में 'बंगाल सती नियम' (Bengal Sati Regulation, 1829) पास हुआ था। सन् 1856 में 'हिन्दू-विधवा-पुनर्विवाह अधिनियम' (Hindu Widow's Remarriage Act, 1856) पास किया गया जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु कम-से-कम दस वर्ष रखी गई। सन् 1872 में 'विशेष विवाह अधिनियम' (Special Marriage Act, 1872) पास किया गया जिससे अन्तर्जातीय विवाहों को अनुमति मिल गई। इसके उपरान्त स्वतन्त्र भारतीय संविधान न भारत को एक लौकिक या धर्म-निरपेक्ष (Secular State) घोषित किया। सन् 1949 में 'हिन्दू-विवाह वैधकरण अधिनियम' (Hindu Marriage Validating Act, 1949) पास हुआ। इसने इस अधिनियम के पास होने के पहले और बाद में होने वाले विवाहों को वैध कर दिया है। सन् 1954 में फिर 'विशेष विवाह अधिनियम' (The Special Marriage Act, 1954) पास हुआ, जोकि सन् 1872 के अधिनियम का ही विस्तृत रूप है। इसके अतिरिक्त अस्पृश्यता दूर करने के लिए सन् 1955 का 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' (Untouchability Offences Act, 1955) सबसे प्रथम कानूनी कदम है जिसके द्वारा अछूतों की समस्त निर्योग्यताओं दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इन सवके अतिरिक्त, भारत में कानून के समक्ष सभी को समान माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति मूल-वंश, लिंग जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये सभी सरकारी प्रयत्न देश में लौकिकीकरण बढ़ाने में कहाँ तक सहायक हुए हैं यह बात शायद समझने की आवश्यकता नहीं।

भारतीय समाज में लौकिकीकरण से सामाजिक परिवर्तन (Secularization and Social Change in Indian Society)

डॉ० एम० श्रीनिवास ने लौकिकीकरण के सन्दर्भ में हुए अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनों को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Social Change in Modern India' में अति सुन्दर रूप प्रस्तुत किया है। उसी प्रस्तुतीकरण के आधार पर भारतीय समाज में लौकिकीकरण के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख क्षेत्रों को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है–

1. अपवित्रता व पवित्रता की धारणा में परिवर्तन एवं लौकिकीकरण (Change in the concept of Pollution and Purity and Secularization)

भारतीय जीवन और धर्म, विशेषकर हिन्दू-धर्म में पवित्रता की धारणा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रायः प्रत्येक भारतीय भाषा में पवित्रता और अपवित्रता की धारणा अवश्य विद्यमान है। अपवित्रता को गन्दगी, मलिनता व अस्वच्छता और यहाँ तक कि पाप के अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है, और पवित्रता को स्वच्छता या शुद्धता आदि के अर्थों में प्रयोग किया जाता है।

भारत में विभिन्न जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी को पवित्रता और अपवित्रता की भावना से ही परिभाषित किया जा सकता है। एक उच्च जाति एक निम्न जाति से 'पवित्र' होती है। जो जातियाँ ऊँची स्थिति प्राप्त करना चाहती हैं वे संस्कृतीकरण के द्वारा अपने को अधिक पवित्र बनाने का प्रयास करती हैं और अपवित्र जातियों से यौन, भोजन व खान-पान एवं विवाह आदि सम्बन्धों में पर्याप्त अलगत्व बनाए रखती हैं। जाति-संस्तरण में विभिन्न जातियों के व्यवसाय भोजन व जीवन-शैली (Life Style) आदि भी इसी पवित्रता और अपवित्रता की धारणा पर आधारित होते है। ऊँची जातियाँ शाकाहारी होती हैं और पवित्र व्यवसायों को ही करती हैं। जैसे उनका रहन-सहन भी अधिक पवित्र होता है। इसके विपरीत निम्न जातियाँ भैंस, बकरे, सूअर आदि का माँस व मच्छी जैसे गन्दे पदार्थ सेवन करती है; भंगी चमार आदि अपवित्र व्यवसाय करते हैं, व उनका रहन-सहन भी गन्दा होता है।

जाति-व्यवस्था के अतिरिक्त रक्त-सम्बन्धों के सम्बन्ध में भी पवित्रता और अपवित्रता की भावना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। परम्परागत रूप में, जन्म, मृत्यु और मासिक-धर्म इत्यादि के समय किए जाने वाले कार्य अपवित्र होते हैं। इनमें भी जन्म की तुलना में मृत्यु की समय किए गए कार्य अधिक अपवित्र माने जाते हैं। तीर्थ-यात्रा के दौरान यौन-सम्बन्धों पर प्रतिबन्ध होता है क्योंकि पूजा-पाठ आदि में पवित्रता की भावना होती है। दिन-प्रतिदिन जीवन में भी पवित्रता और अपवित्रता की भावना का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। एक मनुष्य को पवित्र होने के लिए स्नान करना पड़ता है, पवित्र कपड़े धारण करने पड़ते हैं तथा अपवित्र व्यक्तियों से अलग रहना पड़ता है, चाहे वह अपवित्र व्यक्ति उसके परिवार का ही सदस्य क्यों न हो। इसके अतिरिक्त किसी विशेष त्यौहार या श्राद्ध के दिन कर्त्ता (subject) पवित्र रहने के लिए उस समय तक पानी भी नही पी सकता, जब तक वह श्राद्ध या त्यौहार पूर्ण न हो जाए। परम्परागत रूप में, एक एक व्यक्ति न तो स्वयं अपनी हजामत ही बना सकता है और न ही हजामत के पश्चात् नहाने के बर्तनों को स्वयं छू सकता है। केवल नाई ही उसकी हजामत बना सकता है और हजामत बनवाने के बाद कोई अन्य व्यक्ति उसके मुँह और हाथों को धुलाएगा और तब वह व्यक्ति वर्तनों को छू पाएगा। वास्तव में स्त्रियाँ, विशेष रूप से विधवाएँ इस अशुद्धता के विचार को अधिक मानती हैं। धार्मिकता को शुद्धता समझा जाता रहा है और पाप व दुराचार को अशुद्धता। सम्भवतः यही कारण है कि पवित्र नदी में प्रतिदिन स्नान, मन्दिरों में पूजा-पाठ, धार्मिक कथाओं का श्रवण, धार्मिक व्यक्तियों से सत्संग, उपवाद आदि को लौकिक तत्वों से ऊपर धार्मिक संसार की वस्तुएँ माना जाता रहा है।

पिछले वर्षों में लौकिकीकरण की क्रियाशीलता के फलस्वरूप पवित्रता और पवित्रता की

भावना लौकिक धरातल पर आ गई है। आज व्यवसाय जाति अथवा पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर अपनाए जा सकते हैं। आजकल ब्राह्मण भी व्यवसाय का प्रयोग करते हैं और एक चमार मन्त्री-पद पर भी रहता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक समय में व्यवसायों की ऊँचाई-निंचाई नापने के लिए शुद्धता और अशुद्धता आदि आधारों की अपेक्षा धन, सत्ता आदि को स्वीकार किया जा रहा है। आज पुरोहिती का व्यवसाय एक अफसरगीरी के व्यवसाय से नीचे दर्जे का है। इसी प्रकार भोजन, खान-पान व विवाह सम्बन्धी नियमों में भी लौकिकीकरण होता जा रहा है। नगरों में तो भोजन के सम्बन्ध में शुद्धता व अशुद्धता के विचार को क्रियाशील करना अलग असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही है।

2. जीवन-चक्र व संस्कारों में लौकिकीकरण द्वारा परिवर्तन
(Changes by Secularization in Life-circle and Rituals)

भारतीय जीवन में विशेषकर हिन्दू-धर्म में संस्कारों को प्रमुख महत्व दिया जाता रहा है। पूरे जीवन-चक्र में अनेकों संस्कार करने होते हैं जैसे गर्भाधान, चौल, नामकरण, उपनयन, समावर्तन, विवाह, अन्तयेष्टि आदि। ये सभी संस्कार हिन्दू-धर्म में अत्याधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उदाहरण के लिए उपनयन संस्कार का भी महत्व है। लौकिकीकरण की प्रक्रिया इन सभी संस्कारों के महत्व को कम करती जा रही है। यहाँ तक कि कुछ संस्कार तो बिल्कुल ही समाप्त-से हो गए हैं जैसे गर्भाधान, चौल, समापवर्तन आदि। नामकरण संस्कार को भी आज संस्कार के रूप में न मानकर एक सामाजिक अवसर माना जाता है जिसपर कि मित्रगण और नातेदार मिलकर हंसी-खुशी मनाते व खाते पीते हैं। विवाह-संस्कार सम्बन्धी नियमों का भी आज उतनी कठोरता से पालन नहीं किया जाता जितना कि पहले किया जाता था। पहले विवाह-संस्कार 5 या 6 दिन में सम्पन्न होता था, आज एक रात में अथवा 2 या 3 घण्टे में भी संस्कार सम्पन्न हो जाता है। इसके अतिरिक्त विवाह के अन्तर्गत भी अब अनेकों उप-संस्कार केवल नाममात्र के लिए ही सम्पन्न किए जाते है। केवल होम, सप्तपदी और कन्यादान का ही अधिक महत्व रह गया है। इसके अतिरिक्त बाराती व मित्रगण सभी केवल दावत (Feast) व 'जयमाल' में ही अधिक रुचि दिखाते हैं; होम सप्तपदी और कन्यादान के समय तो बहुत घनिष्ठ सम्बन्धी ही उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार विवाह आज एक धार्मिक संस्कार न रहकर एक सामाजिक उत्सव का अवसर बन गया है। विवाह-संस्कार में लौकिकीकरण का प्रभाव आज दहेज-प्रथा (Dowry-System) के महत्व के दिन-प्रतिदिन बढ़ने से ही स्पष्ट है। आज विवाह-सम्बन्धों में दहेज पर अधिक दबाव दिया जाता है, न कि धार्मिक बातों पर।

विवाह की आयु बढ़ने के कारण आज एक लड़की को शिक्षा पाने का अवसर प्राप्त हुआ है और इसके अनेक परम्परागत बातों में ढील उत्पन्न हो रही है जैसे रसोईघर की पवित्रता बनाये रखना, जाति व पवित्रता के नियमों का ज्ञान, सास-ससुर की आज्ञा का पालन, पति को देवता के रूप में पूजना आदि। वास्तव में शिक्षा ने स्त्रियों के विचारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिये हैं और उनको नया उत्साह प्रदान किया है। आज ब्राह्मण की भी ऐसी बहुत कम लड़कियाँ होंगी जोकि शिक्षा न प्राप्त करती हों। इतना ही नहीं, लड़कियाँ आज नर्स, शिक्षक, क्लर्क, डॉक्टर, इंजीनियर सभी पदों पर कार्य करती हैं।

धार्मिक जीवन में अत्यधिक लौकिकीकरण बढ़ रहा है। कार्यालय या दुकान जाते समय जल्दी के कारण पूजा-पाठ के आसन पर घण्टों बैठने के बजाय स्नान करते समय कपड़े पहनते-पहनते ही पूजा-पाठ कर लिया जाता है। शिक्षित व्यक्ति आज तीर्थ करने, स्वर्ग-प्राप्ति के दृष्टिकोण से नहीं अपितु मनोरंजनार्थ घूमने, नई-नई बातें व दृश्य देखने के उद्देश्य से जाते हैं। इसी प्रकार आज भजनों, हरि-कथाओं आदि को आकाशवाणी द्वारा आधुनिक ढ़ंग से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अखिल भारतीय साधु-समाज का निर्माण भी एक प्रकार से धार्मिकता का लौकिकीकरण ही है। आज

लोग पण्ड़ितों को दान देने के बजाये शिक्षा-संस्थाओं, चिकित्सालयों आदि को दान देना अधिक पसन्द करते हैं। विश्व हिन्दू-परिषद् की रचना भी लौकिकीकरण का अनुपम उदाहरण है।

3. जाति संरचना में परिवर्तन और लौकिकीकरण
(Changes in Caste-structure and Secularization)

लौकिकीकरण का जो प्रभाव जाति-प्रथा पर पड़ा है वह हम पहले ही लिख चुके है। यहाँ केवल ब्राह्मणों की स्थिति में परिवर्तन का वर्णन किया जा सकता है। जैसाकि सर्वविदित ही है कि जाति-संस्तरण (Caste Hieracrchy) में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वमान्य रूप से सबसे ऊपर है। परन्तु आर्थिक और राजनीतिक शक्ति की महत्ता का वर्तमान युग में बोलबाला होने के कारण परम्परा के आधार पर आधारित ब्राह्मणों की सत्ताओं का घटना स्वाभाविक ही है। औद्योगिकरण और नगरीकरण ने अनेक नए व्यवसायों को जन्म दिया है जिनमें व्यक्तिगत कुशलता या योग्यता को अधिक महत्व दिया जाता है। फलतः निम्न जाति के लोगों को भी अपनी योग्यता के अनुसार उन्नति करने तथा सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने के अवसर प्राप्त हुए हैं। इससे जन्म के आधार पर आधारित ब्राह्मणों की परम्पराओं प्रभुता को काफी धक्का पहुँचा है। आज ब्राह्मणों का धार्मिक क्रियाओं के सम्बन्ध में भी अत्यधिक लौकिकीकरण हुआ है। आज ब्राह्मणों को भी चोटी न रखे हुए देखा जा सकता है। अनेक ब्राह्मण आज जनेऊ भी धारणा करना पसन्द नहीं करते क्योंकि जनेऊ के कठोर नियमों का पालन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। कहीं-कहीं तो कोई विशेष संस्कार करते हुए ब्राह्मण को पेण्ट व बुशर्ट पहने हुए भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामान्य रूप से भी नगरों में पूजा-पाठ, संस्कार आदि काफी कम होते है, इस कारण भी पुरोहित-ब्राह्मणों का महत्व अत्यधिक घटा है; वे अन्य नए व्यवसायों व नौकरियों को अपनाने लगे हैं।

जाति-प्रथा में लौकिकीकरण के प्रभाव में आकर एक अन्य प्रभावपूर्ण सबसे नीची जाति की स्थिति में सुधार होना है। आज हरिजनों की स्थिति पहले जैसी नहीं है। व्यक्ति जन्म पर आधारित समाज के विभाजन को अवैज्ञानिक मानने लगे हैं। इसका वास्तव में सम्पूर्ण श्रेय पूज्य बापू को ही देना चाहिए। आपके हरिजन आन्दोलन ने न केवल स्वस्थ जनमत का निर्माण किया, अपितु सरकार को भी हरिजनों के उत्थान के सम्बन्ध में प्रयत्नशील बनाया। आज सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों में उन्हें राज्य की ओर से केवल समान अधिकार ही प्राप्त नहीं है बल्कि प्रत्येक प्रकार की नौकरियों, विधानमण्डलों, मन्त्रिमण्डलों आदि में उनके लिए स्थान भी सुरक्षित कर दिये गए हैं। जाति-प्रथा पर यही है लौकिकीकरण के कुछ प्रमुख प्रभाव।

4. परिवार पर लौकिकीकरण का प्रभाव
(Effects of Secularization on Family)

सामाजिक जीवन में परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था का स्थान रखता है। भारतीय समाज में तो इसका और भी महत्व है। यहाँ कि प्रमुख विशेषता 'संयुक्त परिवार व्यवस्था' (Joint Family System) रही है। वास्तव में संयुक्त परिवार एक अति प्राचीन संस्था है और इस देश की परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित भी था। भारत एक कृषि प्रधान देश है, खेती ही यहाँ के अधिकतर लोगों का प्रमुख व्यवसाय रहा है। खेती का काम परिवार के आधार पर (on family basis) होता है और साथ ही इसके लिये कुछ लोगों की भी आवश्यकता होती है। प्राचीनकाल में जनसंख्या की तुलना में प्रति परिवार पर जमीन भी काफी थी। इसीलिए परिवार के आधार पर कृषि-कार्य का ठीक करने के लिए यह आवश्यक था कि प्रति परिवार काम करने योग्य सदस्यों की संख्या भी अधिक हो। इसीलिए पिता, उनके भाई, उनकी पत्नी व बच्चे सब एकसाथ सम्मिलित रूप में एक ही परिवार में रहते और संयुक्त परिवार प्रणाली को बनाये रखते हैं। आज परिस्थितियाँ बदल रही है और इसीलिए संयुक्त परिवार का भी निरन्तर विघटन हो रहा है। परिवार के अनेक कार्य अन्य

समितियों और संस्थाओं को हस्तान्तरित होते जा रहे हैं। आज परिवार में बड़े-बूढ़ों की पुरानी बातों को बहुत कम माना जाता है और मज़े की बात तो यह है कि बड़े-बूढ़े भी नई पीढ़ी को देखते हुए अपने विचारों में धीरे-धीरे परिवर्तन ला रहे हैं। परिवार में परम्परागत त्यौहार अब भी मनाये जाते हैं परन्तु केवल नाममात्र के लिए। इसके अतिरिक्त उनको धार्मिक त्यौहार न समझकर एक सामाजिक अवसर अधिक माना जाता है। इस प्रकार परिवार के धार्मिक कार्यों में भी काफी कमी हुई है। पूजा-पाठ, कथा, साधु-सन्तों में विश्वास आदि सभी बातों में लौकिक वातों का समावेश हो रहा है। स्पष्ट है कि परिवार पर लौकिकीकरण का अत्याधिक प्रभाव पड़ा है।

5. ग्रामीण समुदाय में लौकिकीकरण
(Secularization in Village Community)

जहाँ एक ओर नगरों में पर्याप्त लौकिकीकरण हुआ है, वहाँ दूसरी ओर ग्रामीण समुदाय भी इस प्रक्रिया से अप्रभावित नहीं हैं। आज ग्रामीण समुदायों में निरन्तर जाति-पंचायतों की शक्ति घटती जा रही है, और उसका स्थान जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा संगठित पंचायतों ने ले लिया है। एक अर्थ में, जैसाकि डॉ. श्रीनिवास ने भी कहा है कि ग्रामीण समुदायों में राजनीतिकरण की प्रक्रिया चल रही है। आज गांवों में प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में सक्रिय भाग लेने का इच्छुक है। देश-विदेश की राजनैतिक बातों का ज्ञान करने की सभी की बड़ी इच्छा रहती है। शाम को चौपाल पर अब धार्मिक या सामाजिक विषयों पर विचार करने की बजाय राजनीतिक विषयों पर बहस होती है। ग्रामीण जीवन में अब एकतन्त्र की बजाय प्रजातन्त्र का राज्य है क्योंकि अव जमींदार और साहूकार के राजनीतिक अधिकार समाप्त हो गए हैं। पहले का ग्रामवासी जितना भोला-भाला, सीधा-सरल और दब्बू होता था, आज वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता जा रहा है।

इतना ही नहीं, ग्रामीण समुदाय के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में भी पर्याप्त लौकिकीकरण हो रहा है। ग्रामों में भी आज अन्तर्जातीय विवाह देखने को मिलते हैं, उनका जीवन-स्तर ऊँचा हो रहा है, उनमें बाल-विवाह की प्रथा समाप्त होती जा रही है, विधवा-विवाह से सम्बन्धित दृष्टिकोणों में परिवर्तन आ रहा है। इसके अतिरिक्त जाति-प्रथा और संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। इसी प्रकार जीवन में भी आज पहले जैसी कठोरता का पालन नहीं किया जाता है। विज्ञान के प्रभाव में आकर धर्म का महत्व भी ग्रामीण समुदाय में अत्यधिक कम हुआ है। पहले ग्रामवासी धर्म, पूजा-पाठ इत्यादि को जीवन का एक अभिन्न अंग मानते थे, परन्तु आज उनके दृष्टिकोणों में पर्याप्त संशोधन व परिवर्तन आ रहा है। वे पहले की तरह अब अन्धविश्वासी और रूढ़िवादी नहीं रहे, साथ ही वे धार्मिक बातों को अब उतना महत्व नहीं देते हैं, जितना पहले देते थे।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. लौकिकीकरण का क्या अर्थ है? लौकिकीकरण के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए।
2. लौकिकीकरण से आप क्या समझते हैं? लौकिकीकरण के कारकों की विवेचना कीजिए।
3. भारतीय समाज में लौकिकीकरण के परिणामस्वरूप हुए सामाजिक परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए।